रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2008/अग्रहायण 5, 1930
No. 625] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2008/AGRAHAYANA 5, 1930

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 819(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उप-धारा (2) के खण्ड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये नियम 1 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. नियम 4 और नियम 5 के स्थान पर नए नियमों का प्रतिस्थापन.—भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 4 और नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"4. **वेतनमान.**—1 जनवरी, 2006 से निगम के अध्यक्ष का वेतनमान (उच्चतम वेतनमान) 80,000 रुपए प्रतिमास (नियत) होगा ।

टिप्पण 1 : पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का नियतन केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के आधार पर किया गया है ।

टिप्पण 2 : पुनरीक्षित वेतनमान के कारण बकाया का संदाय (मूल वेतन और महंगाई भत्ते का अंतर) दो किश्तों में नकद किया जाएगा । पहली किश्त कुल बकाया रकम के 40 प्रतिशत तक निर्बंधित होगी । 60 प्रतिशत बकाया रकम का अगले वित्त वर्ष के दौरान संदाय किया जाएगा ।"।

5. महंगाई भत्ता.—(1) निगम के अध्यक्ष को संदेय मंहगाई भत्ता निम्नानुसार होगा, अर्थात् :—

(क) 1.1.2006 से 30.6.2006 तक — कोई महंगाई भत्ता नहीं
(ख) 1.7.2006 से 31.12.2006 तक -- मूल वेतन का दो प्रतिशत
(ग) 1.1.2007 से 30.6.2007 तक -- मूल वेतन का छह प्रतिशत
(घ) 1.7.2007 से 31.12.2007 तक -- मूल वेतन का नौ प्रतिशत
(ङ) 1.1.2008 से 30.6.2008 तक -- मूल वेतन का बारह प्रतिशत
(च) 1.7.2008 से आगे तक — सोलह प्रतिशत

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन कर सकेगी ।"

3. **नियम 7 के स्थान पर नए नियम का प्रतिस्थापन** ,- उक्त नियमों में नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7 नए प्रतिकारात्मक भत्ता- 1 सितंबर, 2008 से नगर प्रतिकारात्मक भत्ते को समाप्त किया जाएगा ।" ।

4. **नए नियम 8ख और नियम 8ग का अंतःस्थापन**,- उक्त नियमों में, नियम 8क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**8ख. बाल शिक्षा भत्ता और होस्टल सहायिकी** :1 सितंबर, 2008 से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति अधिकतम 1000 रुपए प्रतिमास प्रति बालक अधिकतम दो बालकों के अध्यधीन की जाएगी और होस्टल सहायिकी की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा 3000 रुपए प्रति बालक प्रतिमास अधिकतम दो बालकों के अध्यधीन की जाएगी । पुनरीक्षित मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर स्वतः ही यह सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी ।

8 ग **परिवहन भत्ता**- 1 सितंबर, 2008 से निगम के अध्यक्ष को 7000 रुपए धन महंगाई भत्ते की उच्चतर दर पर प्रतिमास परिवहन भत्ता लेने का विकल्प होगा परंतु यदि वह निवास और कार्यालय के बीच यात्रा के लिए सरकारी कार का उपयोग न करता हो ।" ।

[फा. सं. एस-11012(06)/बीमा.-III/2008(i)]
तरुण बजाज, संयुक्त सचिव (बीमा और बैंककारी)

पाद टिप्पण :—भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 124(अ) तारीख 5 मार्च, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :-

1. सा0का0नि0 सं0 591 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2001
2. सा0का0नि0 सं0 629(अ), तारीख 22 सितंबर, 2004

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 2006 से भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष के वेतनमान और कतिपय सेवा के निबंधन और शर्तों को पुनरीक्षित करने का अनुमोदन कर दिया है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2008

G.S.R. 819(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Chairman (certain Terms and Conditions of Service) Rules,1998, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Chairman (Certain Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. **Substitution of new rules for rule 4 and rule 5.**- In the Life Insurance Corporation of India Chairman (Certain Terms and Conditions of Service) Rules,1998 (hereinafter referred to as the said rule), for rules 4 and 5, the following rules shall be substituted, namely,-

"4. **Scale of Pay.**- With effect from 1st day of January,2006 , the scale of pay of the Chairman of the Corporation shall be (Apex Scale) Rs.80,000/- per month (Fixed).

Note 1: The fixation of pay in the revised scale has been done on the basis of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

Note 2 The arrears on account of revised scale of pay shall be paid (difference of basis pay and dearness allowance) in cash in two installments. The first installment shall be restricted to 40% of the total arrears. The remaining 60% of arrears shall be paid during the next financial year".

5. **Dearness Allowance:**- (1) Dearness Allowance payable to the Chairman of the Corporation shall be such as follows , namely,-

(a) From 1-1-2006 to 30-06-2006 – No Dearness Allowance
(b) From 1-7-2006 to 31-12-2006 – 2% of Basic Pay
(c) From 1-1-2007 to 30-6-2007 – 6% of Basic Pay
(d) From 1-7-2007 to 31-12-2007 – 9 % of Basic Pay
(e) From 1-1-2008 to 30-6-2008 – 12% of Basic Pay
(f) From 1.7.2008 onwards - 16% of Basic Pay

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1), the Central Government may, by order, vary the rate of Dearness Allowance from time to time".

3. **Substitution of new rule for rule** 7.- In the said rule, the following rule shall be substituted, namely.-

"7. **City Compensatory Allowance:-** With effect from 1st September, 2008, City Compensatory Allowance shall be abolished".

4. **Insertion of new rules 8B and 8C.-** In the said rule. after rule 8A, the following rules shall be inserted, namely.-

"**8B Children Education Allowance and Hostel Subsidy**:

With effect from 1st September, 2008, Children Education Allowance shall be reimbursed upto the maximum of Rs.1000 per child per month subject to a maximum of two children and Hostel Subsidy shall be reimbursed upto a maximum limit of Rs.3000 per child per month subject to a maximum of two children . The limits shall be automatically raised by 25% every time the Dearness Allowance on the revised Basic Pay goes up by 50%.

8C Transport Allowance.- With effect from 1st September, 2008, the Chairman of the Corporation shall have an option to draw transport allowance at a higher rate of Rs.7000 p.m. plus dearness allowance provided he does not use the official car for travel between residence and office".

[F. No. S-11012 (06)/Ins.-III/2008 (i)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy. (Insurance and Banking)

Foot Note : Life Insurance Corporation of India Chairman (certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1998 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R.No.124(E) dated 5th March, 1998 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R.No.591 (E) dated 14th August, 2001.
2. G.S.R.No.629 (E) dated 22nd September, 2004.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the scales of Pay and certain terms and conditions of service of the Chairman of the Life Insurance Corporation of India, with effect from 1st January, 2006..

It is certified that no Chairman of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 820(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये नियम 1 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. **नियम 4 और नियम 5 के स्थान पर नए नियमों का प्रतिस्थापन** -भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1988 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 4 और नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"**4. वेतनमान**- (1) 1 जनवरी, 2006 से प्रबंध निदेशक का वेतनमान (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी + वेतनमान) 75,500 रुपए (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)- 80,000 रुपए प्रतिमास होगा ।

(2) प्रबंध निदेशक का वेतन नियतन 1 जनवरी, 2006 से निम्नानुसार किया जाएगा:-

विद्यमान वेतनमान के अनुसार वेतन	पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वेतन
24050/-रुपए	77765/-रुपए
24700/-रुपए	80000/-रुपए
25350/-रुपए	80000/-रुपए
26000/-रुपए	80000/-रुपए
26000/-रुपए	80000/-रुपए

टिप्पण 1 : पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का नियतन केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के आधार पर किया गया है ।

टिप्पण 2 : पुनरीक्षित वेतनमान के कारण, बकाया का संदाय (मूल वेतन और महंगाई भत्ते का अंतर) दो किश्तों में नकद किया जाएगा । पहली किश्त कुल बकाया रकम के 40 प्रतिशत तक निर्बंधित होगी । 60 प्रतिशत बकाया रकम का अगले वित्त वर्ष के दौरान संदाय किया जाएगा ।" ।

5. महंगाई भत्ता– (1) निगम के प्रबंध निदेशकों को संदेय महंगाई भत्ता निम्नानुसार होगा :-

(क) 1.1.2006 से 30.6.2006 तक — कोई महंगाई भत्ता नहीं
(ख) 1.7.2006 से 31.12.2006 तक — मूल वेतन का 2 प्रतिशत
(ग) 1.1.2007 से 30.6.2007 तक — मूल वेतन का 6 प्रतिशत
(घ) 1.7.2007 से 31.12.2007 तक — मूल वेतन का 9 प्रतिशत
(ङ) 1.1.2008 से 30.6.2008 तक — मूल वेतन का 12 प्रतिशत
(च) 1.7.2008 से आगे तक — 16 प्रतिशत

4672 GI/08-2

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन कर सकेगी ।"

3. **नियम 7 के स्थान पर नए नियम का प्रतिस्थापन** ,- उक्त नियमों में, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7 नगर प्रतिकरात्मक भत्ता- 1 सितंबर, 2008 से नगर प्रतिकरात्मक भत्ते को समाप्त किया जाएगा ।" ।

4. **नए नियम 8ख और नियम 8ग का अंत:स्थापन,**- उक्त नियमों में नियम 8क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"8ख. **बाल शिक्षा भत्ता और होस्टल सहायिकी** : 1सितंबर, 2008 से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति अधिकतम 1000 रुपए प्रतिमास प्रति बालक अधिकतम दो बालकों के अध्यधीन की जाएगी और होस्टल सहायिकी की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा 3000 रुपए प्रति बालक प्रतिमास अधिकतम दो बालकों के अध्यधीन की जाएगी । पुनरीक्षित मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर स्वत: ही यह सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी ।

8 ग. **परिवहन भत्ता**- 1 सितंबर, 2008 से निगम के प्रबंध निदेशक को 7000 रुपए धन महंगाई भत्ते की उच्चतर दर पर प्रतिमास परिवहन भत्ता लेने का विकल्प होगा परंतु यदि वह निवास और कार्यालय के बीच यात्रा के लिए सरकारी कार का उपयोग न करता हो।" ।

[फा. सं. एस-11012(06)/बीमा. III/2008(ii)]
तरुण बजाज, संयुक्त सचिव (बीमा और बैंककारी)

पाद टिप्पण :—भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1988 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 65(अ) तारीख 29 जनवरी, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :-

1. सा0का0नि0 सं0 125(अ), तारीख 5 मार्च,1998
2. सा0का0नि0 सं0 156(अ), तारीख 31 मार्च,1998 शुद्धिपत्र ।
3. सा0का0नि0 सं0 592(अ), तारीख 14 अगस्त, 2001
4. सा0का0नि0 सं0 630(अ), तारीख 22 सितंबर, 2004

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 2006 से भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के वेतनमान और कतिपय सेवा के निबंधन और शर्तों को पुनरीक्षित करने का अनुमोदन कर दिया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2008

G.S.R. 820(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988, namely:-

1. **Short title and commencement and application.**- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules,2008.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. **Substitution of new rules for rule 4 and rule 5.**- In the Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988 (hereinafter referred to as the said rule), for rules 4 and 5, the following rules shall be substituted, namely,-

"4. **Scale of Pay.**- (1) With effect from 1st day of January,2006 , the scale of pay of the Managing Director shall be (HAG + Scale) Rs. 75500- (annual increment @3%)-80000.

(2) The fixation of pay of the Managing Director as on 1st January, 2006 shall be as under:-

Pay as per existing scale	Pay as per Revised Scale
Rs.24050/-	Rs.77765/-
Rs.24700/-	Rs.80000/-
Rs.25350/-	Rs.80000/-
Rs.26000/-	Rs.80000/-
Rs.26000/-	Rs.80000/-

Note 1: The fixation of pay in the revised scale has been done on the basis of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

Note 2 The arrears on account of revised scale of pay shall be paid (difference of basis pay and dearness allowance) in cash in two installments. The first installment shall be restricted to 40% of the total arrears. The remaining 60% of arrears shall be paid during the next financial year".

5. **Dearness Allowance**:- (1) Dearness Allowance payable to the Managing Directors of the Corporation shall be such as follows , namely,-

(a) From 1-1-2006 to 30-06-2006 – No Dearness Allowance
(b) From 1-7-2006 to 31-12-2006 – 2% of Basic Pay
(c) From 1-1-2007 to 30-6-2007 – 6% of Basic Pay
(d) From 1-7-2007 to 31-12-2007 - 9 % of Basic Pay
(e) From 1-1-2008 to 30-6-2008 – 12% of Basic Pay
(f) From 1.7.2008 onwards - 16% of Basic Pay

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1), the Central Government may, by order, vary the rate of Dearness Allowance from time to time".

3. **Substitution of new rule for rule 7.-** In the said rule, the following rule shall be substituted, namely,-

"7. **City Compensatory Allowance.-** With effect from 1st September, 2008, City Compensatory Allowance shall be abolished".

4. **Insertion of new rule 8B and 8C.-** In the said rule, after rule 8A, the following rules shall be inserted, namely,-

"**8B Children Education Allowance and Hostel Subsidy.-** With effect from 1st September, 2008, Children Education Allowance shall be reimbursed upto the maximum of Rs.1000 per child per month subject to a maximum of two children and Hostel Subsidy shall be reimbursed up to a maximum limit of Rs.3000 per child per month subject to a maximum of two children . The limits shall be automatically raised by 25% every time the Dearness Allowance on the revised Basic Pay goes up by 50%.

8C Transport Allowance.- With effect from 1st September, 2008, the Managing Director of the Corporation shall have an option to draw transport allowance at a higher rate of Rs.7000 p.m. plus dearness allowance provided he does not use the official car for travel between residence and office".

[F. No. S-11012 (06)/Ins. III/2008 (ii)]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy. (Insurance and Banking)

Foot Note : Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R.No.65(E) dated 29th January, 1988 and subsequently amended as under:-

1. G.S.R.No.125(E) dated 5th March, 1998
2. G.S.R.No.156(E) dated 31st March, 1998 Corrigenda.
3. G.S.R.No.592(E) dated 14th August, 2001.
4. G.S.R.No.630(E) dated 22nd September, 2004.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the scales of Pay and certain terms and conditions of service of the Managing Director of the Life Insurance Corporation of India, with effect from 1st January, 2006.

It is certified that no Managing Director of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.